बाल विवाह मुक्त भारत
CHILD MARRIAGE FREE INDIA

JUST RIGHTS FOR CHILDREN

खबरदार!

बाल विवाह कराओगे सीधा जेल जाओगे!

18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 साल से कम उम्र के लड़के की शादी करवाना गैरकानूनी है।

दोषियों को 2 साल तक की जेल और एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

सहयोगी

हिस्सेदार/ भागीदार

आइए हम सब मिलकर

बाल विवाह मुक्त भारत का निर्माण करें

बाल विवाह के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने के लिए पुलिस को **112** नंबर पर या चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर **1098** पर सूचना देसकतें हैं
(सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गुप्त रखी जाएगी।

बाल विवाह मुक्त भारत
CHILD MARRIAGE FREE INDIA

JUST RIGHTS FOR CHILDREN

खबरदार!

बाल विवाह कराओगे सीधा जेल जाओगे!

18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 साल से कम उम्र के लड़के की शादी करवाना ग़ैरकानूनी है।

दोषियों को 2 साल तक की जेल और एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

सहयोगी

हिस्सेदार/
भागीदार

आइए हम सब मिलकर

बाल विवाह मुक्त भारत का निर्माण करें

बाल विवाह के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने के लिए
पुलिस को **100/ 112** नंबर पर या चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर **1098** या जे.आर.सी. हेल्पलाइन नंबर **18001027222** पर सूचना दे सकतें हैं

(सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गुप्त रखी जाएगी)

बाल विवाह मुक्त भारत
CHILD MARRIAGE FREE INDIA

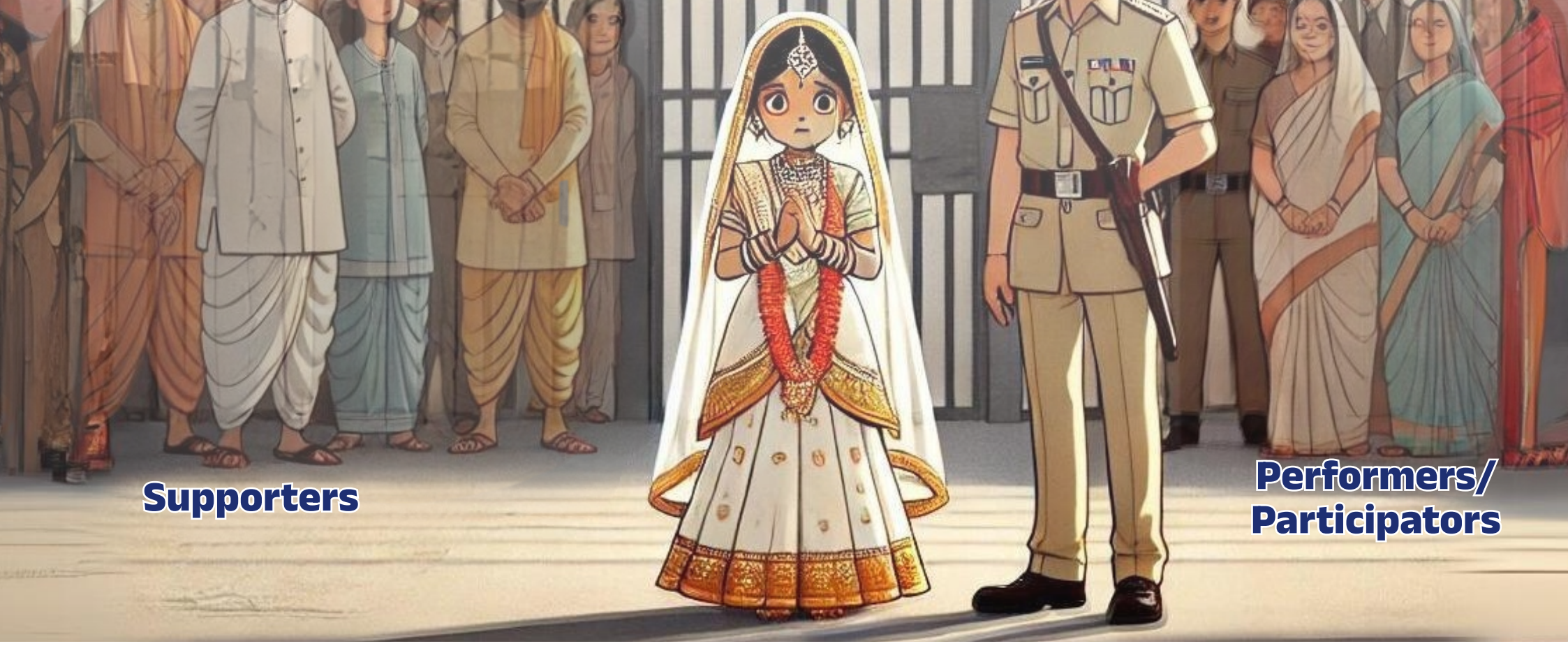
JUST RIGHTS FOR CHILDREN

ATTENTION!

Promoting child marriage will send you directly to jail

Marrying girls under 18 years or boys under 21 years is illegal

Offenders shall be punishable with upto 2 years of imprisonment and a fine of upto ₹1 lakh



Let us join hands to build a

CHILD MARRIAGE FREE BHARAT

To report a case of child marriage,
inform the Police at **100/112** or contact the Child Helpline at **1098** or JRC Helpline at **18001027222**

(The identity of the informant will remain confidential)

बाल विवाह मुक्त भारत
CHILD MARRIAGE FREE INDIA

JUST RIGHTS FOR CHILDREN

बाल विवाह के मामलों की रिपोर्ट कैसे करें?

1

मामले/केस की जानकारी के बारे में फॉर्मेट के अनुसार विवरण प्राप्त करें

2

नाबालिग की शादी की सूचना शीघ्र ही रिपोर्ट करें

- पुलिस को 112 नम्बर पर।
- चाइल्ड लाइन को 1098 नम्बर पर
- **जे.आर.सी. हेल्पलाइन नंबर 18001027222 पर**
- अपने क्षेत्र के बालविवाह रोकथाम अधिकारी (CMPO) जैसे ब्लॉक विकास अधिकारी(BDO)/ SDO/ SDM/DM आदि को सूचना दें।

3

रिपोर्ट करने के बाद, CMPO यानि कि बाल विवाह निषेध अधिकारी के साथ मिलकर बाल विवाह को रुकवाए।

- माता-पिता से अंडरटेकिंग लें कि वह अपने नाबालिग बच्चे की शादी कानूनी उम्र यानि कि लड़कियों की 18, एवं लड़कों की 21 वर्ष से पहले शादी नहीं करेंगे।
- पुलिस थाने जाकर आवेदन पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ FIR दर्ज कराएं एवं उसकी कॉपी लें।
- थाने में दर्ज कंप्लेंट की डायरी एंट्री की कॉपी ले लें।
- जिला मजिस्ट्रेट न्यायाधीश से इनजंक्शन आर्डर प्राप्त करें और CMPO के साथ साझा करें।

आइये हम सब मिलकर बाल विवाह मुक्त भारत का निर्माण करें

बाल विवाह मुक्त भारत
CHILD MARRIAGE FREE INDIA

JUST RIGHTS FOR CHILDREN

खबरदार!



यदि आप 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लडके की शादी करते हैं तो

आप जेल जा सकते हैं

वे लोग भी जेल जा सकते है जो

- ऐसे विवाह में शामिल हुए हों या होते हैं
- ऐसा विवाह कराते हैं
- ऐसे विवाह के आयोजन के किसी भी रूप में हिस्सेदार हैं जैसे कि पुजारी / मौलवी, टेंट वाला, कैटरर, आदि कोई भी।

किसी भी नाबालिग की शादी की सूचना कहाँ दे सकते हैं

- पुलिस को 112 नम्बर पर।
- चाइल्ड लाइन को 1098 नम्बर पर
- जे.आर.सी. हेल्पलाइन नंबर 18001027222 पर
- अपने क्षेत्र के बालविवाह रोकथाम अधिकारी (CMPO) जैसे ब्लॉक विकास अधिकारी(BDO)/ SDO/ SDM/DM आदि को

आइये हम सब मिलकर बाल विवाह मुक्त भारत का निर्माण करें